2019 का विधेयक संख्यांक 103

[दि सेन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायताप्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 है ।

(2) इसे 7 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित प्राधिकरण" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में उच्चतर शिक्षा के मानकों के अवधारण, समन्वय या बनाए रखने के लिए किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है ;

1956 का 3

(ख) "अध्ययन शाखा" से बैचलर (स्नातक), मास्टर्स (स्नातकोत्तर) और डॉक्टरल स्तरों पर अर्हताओं के तीन प्रधान स्तरों की ओर ले जाने वाली अध्ययन की कोई शाखा अभिप्रेत है ;

(ग) "केंद्रीय शैक्षणिक संस्था" से—

(i) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय ;

(ii) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था ;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित कोई संस्था और जो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली या उससे सहायता पाने वाली हो ; 1956 का 3

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चलाई जाने वाली या उससे सहायता पाने वाली कोई संस्था और जो उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी संस्था से सहबद्ध हो या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संस्था की घटक इकाई हो ; और

(v) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था ; 1860 का 21

(घ) "सीधी भर्ती" से किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में शिक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों से लोक विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करके संकाय सदस्य नियुक्त करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ङ.) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से ऐसे कमजोर वर्ग अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (6) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट हैं ;

(च) "संकाय सदस्य" से केंद्रीय शैक्षणिक संस्था का संकाय सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था" से संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई संस्था अभिप्रेत है और जिसे संसद् के किसी अधिनियम द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया है ; 2005 का 2

(ज) "स्वीकृत पद संख्या" से शिक्षकों के काडर में समुचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूचित जाति" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जातियां अभिप्रेत हैं ;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां अभिप्रेत हैं ;

(ट) "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 342क के अधीन इस प्रकार समझे गए हैं ;

(ठ) "शिक्षकों का काडर" से अध्ययन या संकाय की शाखा को ध्यान में लाए बिना किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था के सभी शिक्षकों का वर्ग अभिप्रेत है, जो उसी ग्रेड वेतन में प्रगणित हैं, जिसमें कोई भी भत्ता या बोनस सम्मिलित नहीं हैं ।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भर्तियों में पदों का आरक्षण ।

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में शिक्षकों के काडर में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण उस सीमा तक और ऐसी रीति में होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) पदों के आरक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था को एक इकाई के रूप में समझा जाएगा ।

कतिपय मामलों में अधिनियम का लागू न होना ।

4. (1) धारा 3 के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उष्कर्ष संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की संस्थाएं ;

(ख) कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुसूची को समय-समय पर संशोधित कर सकेगी ।

अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

5. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की गई प्रत्येक अधिसूचना किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी ; तथापि, अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

6. (1) केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है ।

2019 का अध्यादेश सं० 13

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

[धारा 4 (1)(क) देखिए]

क्र.सं.	उत्कर्ष संस्था आदि का नाम
(1)	(2)
1.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई और उसकी घटक इकाइयां, अर्थात् :—
	(i) भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे ;
	(ii) इंदिरा गांधी सेंटर फार एटोमिक रिसर्च, कलपक्कम ;
	(iii) राजा रमन्ना सेंटर फार एडवांस्ड टैक्नोलाजी, इंदौर ;
	(iv) इंस्ट्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर ;
	(v) वैरिएबल इनर्जी साइक्लोट्रान सेंटर, कोलकाता ;
	(vi) साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता ;
	(vii) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर ;
	(viii) इंस्टीट्यूट आफ मैथेमेटिकल साइंसेज, चेन्नई ;
	(ix) हरीश-चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद ;
	(x) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई ।
2.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई ।
3.	नार्थ-ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलांग ।
4.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर, गुडगांव ।
5.	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलोर ।
6.	फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद ।
7.	स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, तिरुअनंतपुरम ।
8.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शक सिद्धांत 2006 के खंड 6 के उपखंड (ग) और खंड 8 के उपखंड (क) में यह उपबंध है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों में आरक्षण रोस्टर बिन्दु का अवधारण करने के लिए काडर या यूनिट का आधार विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होना चाहिए और न कि विभाग या विषय होना चाहिए । तथापि उक्त खंडों को 2016 की रिट याचिका संख्या 43260, तारीख 7 अप्रैल, 2017 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था और उक्त निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया था । उच्चतम न्यायालय ने यह आधार लिया कि आरक्षण के प्रयोजन के लिए काडरों को मिलाया नहीं जा सकता । तथापि, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों की सात हजार से अधिक रिक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्णत: रुक गई थी और इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक मानकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

2. रिक्त पदों को भरने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए इस मामले में एक विधान को अधिनियमित करना आवश्यक हो गया था ।

3. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 में, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, निम्नलिखित उपबंध हैं, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए और उक्त आरक्षण को संविधान (एक सौ तीनवां) संशोधन अधिनियम, 2019 की दृष्टि से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बढ़ाने का उपबंध करने के लिए ;

(ii) विधेयक के खंड 3 में यह उपबंध है कि पदों में आरक्षण का विस्तार और रीति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी तथा पदों के आरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था को एकल इकाई के रूप में समझा जाएगा ; और

(iii) विधेयक के खंड 3 के उपबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्कृष्ट संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की संस्थाओं या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को लागू नहीं होंगे ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अत्यावश्यक विधान बनाए जाने की आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति ने 7 मार्च, 2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 13) प्रख्यापित किया था ।

5. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 जून, 2019

रमेश पोखरियाल 'निशंक'

वित्तीय ज्ञापन

केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 में किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एकल इकाई के रूप में समझा गया है ।

2. सहायक आचार्य स्तर के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्वोक्त वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए नियमित बजट प्राक्कलनों में पहले ही उपबंध कर दिया गया है ।

3. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण के उपबंध के कारण केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में संकाय सदस्य के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2019-2020 और 2020-2021 के लिए 717.83 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और उसको मंजूर कर दिया गया है । 2020-2021 के पश्चात् संकाय सदस्यों के अतिरिक्त पदों की व्यवस्था नियमित बजट प्राक्कलनों में की जाएगी ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भर्ती में पदों के आरक्षण के विस्तार और रीति को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है । विधेयक के खंड 4 का उपखंड (2) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विधेयक की अनुसूची को संशोधित करने के लिए सशक्त करता है ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—653LS(CRC)—20-6-2019.